

**LEGISLATIVE ASSEMBLY**  
**NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

**Bulletin Part-I**

**(Brief summary of proceedings)**

**Monday, 26 November 2018 / 05 Margshirsha 1940 (Saka)**

**No. 91**

**02.04 PM**

**Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair**  
***National Song (Vande Mataram)***

1. 2.05 PM **Obituary references :**  
The House paid homage and observed two minutes silence on the sad demise of :
  - i. Sh. Atal Bihari Vajpayee, Former Prime Minister of India.
  - ii. Sh. Madan Lal Khurana, Former Chief Minister of Delhi.
  - iii. Sh. Anant Kumar, Cabinet Minister, Govt. of India.
  - iv. Sh. Maninder Singh Dhir, Former Speaker, Legislative Assembly of NCT of Delhi.
  - v. Sh. Sahib Singh Chauhan, Ex-Member, Legislative Assembly of NCT of Delhi.
  - vi. Sh. Jile Singh, Ex-Member, Legislative Assembly of NCT of Delhi.
  - vii. Sh. Nand Kishore Sehrawat, Ex-Member, Legislative Assembly of NCT of Delhi
  - viii. Security personnel and innocent people killed in recent Terrorist/Naxalite attacks in Punjab, Jammu & Kashmir and Chhattisgarh.
  - ix. Victims of Terrorist Attack in Mumbai on 26<sup>th</sup> November, 2008.
2. 2.17 PM **Observance of Constitution Day :**  
The Chair greeted the Members on the occasion of Constitution Day and the Hon'ble Members read the Preamble to the Constitution of India to commemorate the event.
3. 2.20 PM The Chair greeted the House on the occasion of 550<sup>th</sup> Guru Parv (Prakash Utsav). He informed that an exhibition in this regard will be organized by the Punjabi Academy on 03<sup>rd</sup> December 2018 in the Assembly Lawns and 550<sup>th</sup> Guru Parv (Prakash Utsav) will also be celebrated on Friday, 07<sup>th</sup> December, 2018 at 6:00 PM at Legislative Assembly Complex, Old Secretariat, Delhi. He invited the Hon'ble Members for the aforesaid events.
4. 2.22 PM Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition, Sh. Om Prakash Sharma and Sh. Jagdish Pradhan sought to know about the fate of the Notices given by them under Rule-54 (Calling Attention) and Rule-59 (Adjournment Motion).  
The Chair stated that he had not allowed any Notice received from Hon'ble Members except the business listed for the day. He also ruled that an e-mail received from Sh. Kapil Mishra was not in accordance with the Rules.
5. 2.23 PM Sh. Kapil Mishra came in the well and argued with the Chair.  
The Chair repeatedly requested Sh. Kapil Mishra to take his seat.  
Shri Kapil Mishra did not relent, the Chair named him.  
As the Member refused to withdraw voluntarily, the Chair directed the Marshalls to escort him out.
6. 2.27 PM **Government Resolution (Rule-90) :**  
**Shri Satyendar Jain, Hon'ble Minister of Home** moved the following Resolution under Rule-90 with the leave of the House :  
*"The Legislative Assembly of NCT of Delhi having its sitting in Delhi on 26 November, 2018:*  
*Taking into consideration the following facts:*
  - *That as per the records of the National Crime Records Bureau, the National Capital Territory of Delhi has acquired and has been consistently maintaining the dubious distinction of being the National Crime Capital as well,*
  - *That the NCT of Delhi has become totally unsafe for its inhabitants, particularly women, children and elderly, in the wake of ghastly crimes such as rapes, kidnaps and murders becoming order of the day,*
  - *That the people of NCT of Delhi live in perpetual fear as to whether the near and dear ones who are out on work would be able to return home safely at the end of the day,*
  - *That due to subversive, disruptive and anti-people instructions given to Delhi Police by Union Government through Lt. Governor, the elected Government is not in a position to enlist any support from Delhi Police even in enforcing central laws such as Essential Services Maintenance Act, when needed,*

- *That the elected Chief Minister and Ministers can be attacked in their own office and at the public events hosted by the elected government,*
- *That those who attack the Chief Minister have the audacity to file complaint against the elected Chief Minister and pressure Delhi Police to register FIR against the Chief Minister,*
- *That the Delhi Police, in spite of its officials on duty being eye witnesses to such attacks on the Chief Minister, tries to hush them up with grossly illogical arguments which have turned the Delhi Police sadly into a butt of ridicule,*
- *That the Delhi Police is not accountable to the elected Government, the Legislators and the Legislative Assembly who are charged with the responsibility of looking after overall well being of the people of Delhi,*
- *That the seven Members of Lok Sabha belonging to BJP and the recently retired three Members of Rajya Sabha belonging to Congress have no proven record of their efforts to hold Delhi Police to account through Parliament, with 7 BJP Members of Lok Sabha actively assisting Delhi Police in spreading anarchy and harassment of ordinary people,*
- *That the elected government is not in a position to remove these grave deficiencies in the service of people on account of certain limitations imposed by the Constitution which kept 'police' out of the purview of the elected Government,*
- *That it has become a huge and unassailable challenge for the elected Government to discharge its functions and to look after public interest in the absence any control whatsoever over Delhi Police and*
- *That it is necessary for the elected Government to have certain degree of control over law enforcing agencies to ensure that decisions taken by it in public interest are implemented thereby contributing to welfare of people and also the public order,*

*Resolves that:*

*The Union government take immediate steps, in larger public interest, to initiate necessary steps to bring the Police in Delhi under the control of the elected government of NCT of Delhi and to make it accountable to the Legislative Assembly as is the case with any other State in the Union of India, by way of amending the Constitution and relevant laws, and*

*In the meanwhile, pending such amendments, necessary steps be initiated by the Government of India to devolve certain powers to the elected Government so that it is in a position to have control over Delhi Police in implementing its decisions, including the decision to invoke ESMA from time to time for smooth running of civic services in public interest and in promotion of public order and for providing for security of its functionaries in discharge of their duties."*

**(3.06 PM :** Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition continuously disturbed the proceeding of the House.

The Chair named him and directed the Marshalls to escort him out.)

The following Hon'ble Members participated in the Discussion :

1. Sh. Madan Lal
2. Sh. Nitin Tyagi (*He also proposed an amendment*)

7. 3.42 PM **The Chair adjourned the House upto 4.15 PM.**

8. 4.24 PM **House reassembled.  
Hon'ble Speaker in-Chair.**

9. 4.24 PM Discussion on Government Resolution (Rule-90) continued :

3. Sh. Saurabh Bharadwaj
4. Sh. Pankaj Pushkar
5. Sh. Jarnail Singh

(The Chair congratulated Sh. Jarnail Singh on his Marriage Anniversary)

**(4:50 PM : Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker In-Chair)**

6. Ms. Alka Lamba
7. Ms. Bandana Kumari
8. Sh. Manoj Kumar
9. Sh. Rajesh Rishi
10. Sh. Sharad Chauhan
11. Ms. Sarita Singh
12. Sh. Somnath Bharti
13. Sh. Imran Hussain, Hon'ble Minister of Food & Supplies

**Sh. Arvinder Kejriwal, Hon'ble Chief Minister** replied to the discussion and requested Shri Nitin Tyagi to withdraw his amendment. The Amendment was withdrawn. The Resolution as moved by **Sh. Satyendar Jain, Hon'ble Minister of Home** was put to vote and adopted by voice-vote.

10. 6.51 PM **Calling Attention (Rule-54) :**

**Shri Ajay Dutt** called the attention of the Government towards “*Abolishing National Pension System (NPS) and reinstate the old Pension System in the interest of lakhs of Government Servants*”.

**Sh. Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister** made a brief statement.

The following Resolution moved by **Sh. Ajay Dutt** was put to vote and adopted by voice-vote :

*“The Legislative Assembly of NCT of Delhi, having its sitting on 26 November 2018 :*

*Taking note of the negative consequences of the anti-employee National Pension System (NPS) that is imposed on the Government Servants by the then NDA Government in 2004 and sustained by the UPA-I, UPA-II and NDA-II Governments,*

*Given the fact that, unlike the old pension scheme, the NPS :*

- does not give any guarantee to the employees either for assured returns on investments or for minimum pension.*
- does not provide for family pension or social security,*
- does not provide for loan facility when in dire need,*
- does not provide for annual increments and hike in DA,*
- does not allow the employees to withdraw enough money from their own pension fund to meet the medical emergencies,*
- leaves the employees at the mercy of volatile markets and the forces that have notoriously been manipulating the markets,*
- imposes draconian restrictions on withdrawals from pension fund,*
- allows the insurance companies to exploit employees by way of forcing them to buy annuity for a minimum of ten years even after retirement, and*
- runs contrary to the spirit of welfare state as enshrined in the Constitution,*

*Given the fact that the pro-people and welfare oriented Government of NCT of Delhi is strongly in favour of restoring the rights and privileges of its employees by way of replacing the NPS with the time tested old pension scheme,*

*Resolves to urge upon the Government of India to scrap the NPS with immediate effect and bring at once all the Government Servants working under the Government of NCT of Delhi under the old pension scheme and restore to them all the benefits of the old pension scheme wherein the fair and legitimate pensions' benefits are disbursed through the Consolidated Fund of India, so that the dedicated work force of the Government of NCT of Delhi and their families will be able to lead their lives with sense of security and dignity, and*

*Further resolves to urge upon the Government of India to restore the old pension scheme in place of NPS or the benefit of all the Government Servants working under the Government of India and also to actively encourage other States to follow this true welfare measure”.*

11. 7.09 PM **Extension of sitting of the House:**

Taking the sense of the House, the Chair announced that the sitting of the Fourth Part of Seventh Session of Sixth Delhi Legislative Assembly was being extended by a day i.e till 27<sup>th</sup> November, 2018.

The Chair also directed that the Short Duration Discussion (Rule-55) listed for the day be listed for 27<sup>th</sup> November, 2018.

12. 7.09 PM **The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Tuesday, 27 November 2018.**

विधान सभा  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली  
समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

सोमवार, 26 नवम्बर, 2018/05 मार्गशीर्ष, 1940 (शक)

संख्या-91

2.04 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

राष्ट्रीय गीत (वन्दे मातरम्)

1. 2.05 बजे

**निधन संबंधी उल्लेख :**

सदन द्वारा निम्नलिखित के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की गई और दो मिनट का मौन धारण किया गया :

1. श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री
2. श्री मदन लाल खुराना, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री
3. श्री अनंत कुमार, केबिनेट मंत्री, भारत सरकार
4. श्री मनिंदर सिंह धीर, दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष
5. श्री साहब सिंह चौहान, दिल्ली विधानसभा के पूर्व सदस्य
6. श्री जिले सिंह, दिल्ली विधानसभा के पूर्व सदस्य
7. श्री नंद किशोर सहरावत, दिल्ली विधानसभा के पूर्व सदस्य
8. पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर और छत्तीसगढ़ में हाल में हुये आतंकी/नक्सली हमलों में मारे गये निर्दोष व्यक्तियों/सुरक्षा कर्मियों के प्रति
9. दिनांक 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुये आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति

2. 2.17 बजे

**संविधान दिवस :**

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को संविधान दिवस की शुभकामनायें दीं तथा माननीय सदस्यों ने इस अवसर पर भारत के संविधान की उद्देशिका का पठन किया।

3. 2.20 बजे

अध्यक्ष महोदय ने सदन को 550वें गुरु पर्व (प्रकाश उत्सव) की शुभकामनायें दीं। उन्होंने सूचित किया कि इस संबंध में पंजाबी अकादमी द्वारा 03 दिसम्बर, 2018 को विधानसभा लॉन में प्रदर्शनी आयोजित की जायेगी और 550वां गुरु पर्व (प्रकाश पर्व) शुक्रवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 को सांय 6.00 बजे विधानसभा परिसर, पुराना सचिवालय, दिल्ली में मनाया जायेगा। उन्होंने माननीय सदस्यों को उक्त कार्यक्रमों के लिये आमंत्रित किया।

4. 2.22 बजे

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री ओमप्रकाश शर्मा तथा श्री जगदीश प्रधान ने उनके द्वारा नियम-54 (ध्यानाकर्षण) तथा नियम-59 (कार्य स्थगन प्रस्ताव) के अंतर्गत दी गई सूचनाओं के बारे में जानना चाहा। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन्होंने आज सूचीबद्ध कार्य के अतिरिक्त माननीय सदस्यों से प्राप्त किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने व्यवस्था दी कि श्री कपिल मिश्रा से प्राप्त ई-मेल नियमों के अनुरूप नहीं है।

5. 2.23 बजे

श्री कपिल मिश्रा सदन के वैल में आ गये तथा अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क-वितर्क करने लगे। अध्यक्ष महोदय ने श्री कपिल मिश्रा से अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कई बार अनुरोध किया। चूंकि श्री कपिल मिश्रा वैल से नहीं हटे, अध्यक्ष महोदय ने उन्हें इंगित किया।

6. 2.27 बजे

**सरकारी संकल्प (नियम-90):**

**श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय गृह मंत्री** ने सदन की अनुमति से नियम-90 के अंतर्गत निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :

‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में :

निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करते हुए :

- यह कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के रिकार्ड के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने राष्ट्रीय अपराध राजधानी होने की संदिग्ध विशिष्टता अर्जित कर ली है और इसे लगातार बरकरार रखे हुए है,
- यह कि बलात्कार, अपहरण और हत्या जैसे भयानक अपराध आम होने की वजह से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अपने निवासियों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए पूरी तरह असुरक्षित हो गई है,
- यह कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोग इस स्थायी भय के साये में जी रहे हैं कि क्या उनके प्रियजन जो किसी कार्यवश बाहर जाते हैं, वे दिन समाप्त होने के बाद सुरक्षित घर वापिस लौट पायेंगे,
- यह कि उप राज्यपाल के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस को ध्वंसात्मक, विघटनकारी तथा जन-विरोधी निर्देश दिये जाने के कारण निर्वाचित सरकार दिल्ली पुलिस से कोई भी सहयोग लेने की स्थिति में नहीं है, यहां तक कि आवश्यकता होने पर आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम जैसे केन्द्रीय कानून को लागू करने में भी नहीं,
- यह कि निर्वाचित मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों पर उनके अपने कार्यालय में तथा निर्वाचित सरकार द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी हमला किया जा सकता है,
- यह कि जिन्होंने मुख्यमंत्री पर हमला किया, उन्होंने निर्वाचित मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने तथा मुख्यमंत्री : विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस पर दबाव बनाने का दुस्साहस किया है,
- यह कि दिल्ली पुलिस, मुख्यमंत्री पर ऐसे हमलों के दौरान ड्यूटी पर इसके कर्मचारियों के चश्मदीद गवाह होने के बावजूद उन्हें अत्याधिक बेतुके तर्कों के साथ दबाने का प्रयास करती है, जिससे दिल्ली पुलिस की स्थिति दुर्भाग्यवश हास्यास्पद हो गई है,
- यह कि दिल्ली पुलिस निर्वाचित सरकार, विधायकों तथा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जिन्हें दिल्ली के लोगों की सम्पूर्ण सुख समृद्धि की देखरेख करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है,

- यह कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सात सदस्यों तथा कांग्रेस के हाल में सेवा निवृत्त हुये राज्यसभा के तीन सदस्यों के प्रयासों का ऐसा कोई सत्यापित रिकार्ड नहीं है, जिसमें उन्होंने संसद के माध्यम से दिल्ली पुलिस को उत्तरदायी ठहराया हो, लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के सात सदस्य अराजकता फैलाने तथा आम आदमी के उत्पीड़न में दिल्ली पुलिस का सहयोग करने में लगे रहे,
- यह कि निर्वाचित सरकार जन सेवा में गंभीर कमियों को संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ सीमाओं के कारण दूर करने की स्थिति में नहीं है, जिनसे 'पुलिस' को निर्वाचित सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया है,
- यह कि दिल्ली पुलिस पर किसी भी तरह का नियंत्रण न होने के कारण निर्वाचित सरकार के लिए अपने कार्यों को निपटाना तथा जनहित की देखरेख करना एक भारी तथा अकाट्य चुनौती बन गया है, और
- यह निर्वाचित सरकार के लिए आवश्यक है कि उसके पास कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर कुछ हद तक नियंत्रण हो ताकि उसके द्वारा जनहित में लिये गये निर्णयों को लागू करना सुनिश्चित हो सके, जिससे जन कल्याण और जन व्यवस्था बनाने में योगदान दिया जा सके,

संकल्प करती है कि:

केन्द्र सरकार व्यापक जनहित में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की निर्वाचित सरकार के अधीन दिल्ली में पुलिस को लाने के लिए तथा उसे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए संविधान तथा सम्बद्ध कानूनों में संशोधन करके तत्काल कदम उठाये, जैसा कि भारत के किसी भी अन्य राज्य में ऐसा किया गया है, और इस बीच, ऐसे संशोधनों के लम्बित रहने के दौरान, भारत सरकार द्वारा निर्वाचित सरकार को कुछ शक्तियां सौंपने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें ताकि यह जनहित में नागरिक सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए समय-समय पर एस्मा लागू करने के निर्णय सहित, अपने फ़ैसलों को लागू करने तथा जन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में इसके पदाधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस पर नियंत्रण करने की स्थिति में हो।”

(3.06 बजे : श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित करने लगे।

अध्यक्ष महोदय ने उन्हें इंगित किया तथा मार्शलों को उन्हें बाहर ले जाने के लिए कहा।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:

1. श्री मदन लाल
2. श्री नितिन त्यागी (उन्होंने संशोधन भी प्रस्तुत किया।)

7. 3.42 बजे

अध्यक्ष महोदय ने सदन अपराह्न 4.15 बजे तक के लिए स्थगित किया।

8. 4.24 बजे

सदन पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

9. 4.24 बजे

सरकारी संकल्प (नियम-90) पर चर्चा जारी :

3. श्री सौरभ भारद्वाज
4. श्री पंकज पुष्कर
5. श्री जरनैल सिंह

(अध्यक्ष महोदय ने श्री जरनैल सिंह को उनके विवाह की वर्षगांठ पर बधाई दी।)

(4.50 बजे : सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुईं।)

6. सुश्री अलका लाम्बा
7. श्रीमती बंदना कुमारी
8. श्री मनोज कुमार
9. श्री राजेश ऋषि
10. श्री शरद चौहान
11. श्रीमती सरिता सिंह
12. श्री सोमनाथ भारती
13. श्री इमरान हुसैन, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री

श्री अरविन्द केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा श्री नितिन त्यागी ने अपना संशोधन वापिस लेने का अनुरोध किया। संशोधन वापिस लिया गया।

श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

10. 6.51 बजे

ध्यानाकर्षण (नियम-54) :

श्री अजय दत्त ने “लाखों सरकारी कर्मचारियों के हित में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस) को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने” के संबन्ध में माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अरविन्द केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

श्री अजय दत्त द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ :-

“राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में :

कर्मचारी-विरोधी राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था (एन.पी.एस) के नकारात्मक परिणामों पर विचार करते हुए, जो तत्कालीन एन.डी.ए सरकार द्वारा वर्ष 2004 में सरकारी कर्मचारियों पर थोपी गई थी और यू.पी.ए-1, यू.पी.ए-II और एन.डी.ए-II सरकारों द्वारा इसे बरकरार रखा गया,

यह एक तथ्य है कि पुरानी पेंशन योजना के विपरीत, एन.पी.एस :

- कर्मचारियों को निवेश पर सुनिश्चित लाभ या न्यूनतम पेंशन की कोई गारंटी नहीं देती,
- पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती,
- अत्यधिक आवश्यकता होने पर ऋण की कोई सुविधा प्रदान नहीं करती,
- वार्षिक वेतन वृद्धि तथा डी.ए में बढ़ोतरी का कोई प्रावधान नहीं है,

- चिकित्सा की आपातकालीन अवस्था में कर्मचारियों को अपने ही पेंशन फण्ड से पर्याप्त धनराशि निकालने की कोई अनुमति नहीं देती,
- कर्मचारियों को अस्थिर बाजारों तथा उन ताकतों की दया पर छोड़ देती है जो अस्थिर बाजारों में कुख्यात रूप से हेर-फेर करते रहते हैं,
- पेंशन फण्ड से निकासी पर कठोर प्रतिबंध लगाती है,
- रिटायरमेंट के बाद भी न्यूनतम 10 वर्ष के लिए वार्षिक वृत्ति खरीदने का दबाव डालकर, बीमा कम्पनियों को कर्मचारियों का शोषण करने की अनुमति देती है, और
- संविधान में प्रतिष्ठापित कल्याणकारी राज्य की भावना के विपरीत कार्य करती है,

यह एक तथ्य है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जन-हितैषी तथा कल्याणकारी सरकार एन.पी.एस को समय-परीक्षित पुरानी पेंशन योजना से प्रतिस्थापित करके अपने कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को बहाल करने के लिए मजबूती से समर्थन में है, भारत सरकार से अनुरोध करने का संकल्प करती है कि एन.पी.एस को तत्काल प्रभाव से हटाया जाये तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों को तुरंत पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाया जाये तथा उन्हें पुरानी पेंशन योजना के सभी लाभ प्रदान किये जायें, जिसमें पेंशनरों के न्यायपूर्ण तथा विधिसम्मत लाभों का भारत की समेकित निधि के माध्यम से भुगतान किया जाता है ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समर्पित कार्यशक्ति तथा उनके परिवार सुरक्षा एवं सम्मान की भावना के साथ अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो सकें, और भारत सरकार से यह भी अनुरोध करने का संकल्प करती है कि भारत सरकार के अधीन कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए एन.पी.एस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाये तथा अन्य राज्यों को भी इस वास्तविक कल्याणकारी कदम को अपनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाये।”

11. 7.09 बजे

**सदन की बैठक बढ़ाना :**

सदन की भावना के दृष्टिगत, उपाध्यक्ष महोदया ने घोषणा की कि छठी दिल्ली विधानसभा के सातवें सत्र के चौथे भाग की बैठक एक दिन अर्थात् दिनांक 27 नवम्बर, 2018 तक स्थगित की जाये।

उपाध्यक्ष महोदया ने यह भी निर्देश दिया कि आज सूचीबद्ध अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) को दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को सूचीबद्ध किया जाये।

12. 7.09 बजे

**उपाध्यक्ष महोदया ने सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।**

दिल्ली

26 नवम्बर, 2018

सी. वेलमुरुगन

सचिव